तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/5935/2004/अलवर** **ओमकार व अन्य बनाम बाबूलाल (मृतक जरिये वारिसान) व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री गौरव दवे, वकील प्रार्थी की ओर से।
श्री एस0के0 शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—23.08.2024

1— यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत न्यायालय उपजिलाधीश बानसूर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17—11—2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई।

3— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने दौराने बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बीच में पूर्व में भी दावा चल कर निर्णित हो चुका है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 समान रूप से पक्षकार थे, आराजी भी वही थी और दादरसी भ्झी वही चाही गयी थी फिर वे एक नया प्रतिवादी जोड कर नया दावा करना और यह कहना कि उसकी खातेदारी की आराजी में भी वादी की आराजी सम्मिलित हो गयी है इसलिय यह नया दावा किया है। इस सम्बंध में कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि जहा तक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बीच तो पूर्व में दावा हो चुका है और निर्णय हो चुका है इसलिए नया दावा नहीं कर सकता किन्तु प्रतिवादी नम्बर 2 के विरूद्ध कोई वाद हेतु वादी को उत्पन्न हुआ है तो वह दूसरी बात है किन्तु जहां तक प्रतिवादी संख्या 1 का सवाल है उसके विरूद्ध तो किसी भी स्थिति में यह नया दावा नहीं चल सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17—11—2004 को न्यायिक आदेश नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसमें पक्षकारों के द्वारा उठाये गये तर्कों, कानूनी विवेचन एवं विभिन्न प्रतिपादित सिद्धांत प्रस्तुत किये गये है जिसमें से किसी का भी विवेचन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जहां तक प्रतिवादी संख्या 1 का सवाल है उसके पक्ष में निर्णय अंतिम हो चुका है और इस निर्णय दिनांक 25—10—78 के विरूद्ध कोई अपील नहीं होने से यह फेसला आज भी अंतिम रूप से कायम है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर उप जिलाधीश बानसूर अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17—11—2004 जो तनकी संख्या 4 पर दिया गया है निरस्त करते हुए दावा रेसज्यूडिकेटा के आधार पर बाधित होने से तनकी संख्या 4 का निर्णय प्रार्थी/प्रतिवादी के पक्ष में करते हुए नया दावा सोहनलाल बनाम भगवाना वाद संख्या 272/1993 प्रतिवादी संख्या 1 प्रार्थी के विरूद्ध जो पेश किया गया है को खारिज फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अधिवक्ता प्रार्थी निगराकार के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व वाद एवं वर्तमान वाद समान नहीं है क्योंकि वर्तमान वाद में प्रतिवादी क्रम 02 भोला पुत्र ज्वाला अलग पक्षकार है इसलिए प्रस्तुत वाद में रेस्ज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होता है। पूर्व वाद एवं वर्तमान वाद में पक्षकारान समान नहीं होने से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/5935/2004/अलवर** **ओमकार व अन्य बनाम बाबूलाल (मृतक जरिये वारिसान) व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रेस्ज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होता है उसी आधार पर परीक्षण न्यायालय उपजिलाधीश बानसूर ने अपने आदेश दिनांक 17–11–2004 के द्वारा आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–11–2004 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमायी जावे।

5– हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अनिगराकार क्रम 01 मृतक सोहनलाल ने परीक्षण न्यायालय सहायक जिलाधीश बानसूर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सन् 1993 में पेश किया। तत्पश्चात् प्रतिवादी क्रम 01 भगवाना पुत्र गोरिया ने एवं भोला पुत्र ज्वाला ने जवाब दावा पेश किया। परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाब दावे के आधार पर छः तनकीयात कायम की जो परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 20 पर संलग्न है। परीक्षण न्यायालय में सर्वप्रथम तनकी संख्या 4 पर विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या 04 इस प्रकार कायम की है कि '' आया वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में सहायक कलक्टर बहरोड की अदालत में मु0नं0 82/75 का निर्णय 25–10–78 को किया जा चुका है जो रेस्ज्यूडिकेटा के कारण वादी का वाद चलने योग्य नहीं है।'' इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी को दिया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17–11–2004 के द्वारा पूर्व वाद व वर्तमान वाद के पक्षकार समान नहीं होने के आधार पर उक्त तनकी को साक्ष्य लेकर मेरिट पर निर्णय पारित किये जाने का आदेश पारित किया है। हमने प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व वाद संख्या 82/75 में पारित निर्णय का अवलोकन किया। पूर्व वाद में सोना द्वारा पेश किया गया है जिसमें भगवाना पुत्र गोरिया प्रतिवादी क्रम 01 तथा प्रतिवादी क्रम 02 राजस्थान सरकार को बनाया गया है। वर्तमान वाद संख्या 272/93 में सोहनलाल पुत्र गीधा द्वारा वाद पेश किया गया है जिसमें भगवाना पुत्र गोरिया एवं भोला पुत्र ज्वाला को प्रतिवादीगण बनाया गया है। पूर्व वाद में भोला पुत्र ज्वाला पक्षकार नहीं थे इस प्रकार प्रस्तुत वाद एवं पूर्व वाद में समान पक्षकार नहीं होने से रेस्ज्यूडिकेटा का सिद्धांत प्रस्तुत वाद पर लागू नहीं होता है। हमनें धारा 11 सीपीसी का अवलोकन किया। धारा 11 सीपीसी इस प्रकार है ''**पूर्व न्यायः– कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य–विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधीकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्ववती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चात्वर्ती वाद या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।**'' इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार समान नहीं है इसलिए प्रस्तुत प्रकरण पर रेस्ज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होता। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना है जो विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर होना है। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत प्रतीत होता है। चूंकि यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण परीक्षण न्यायालय के समक्ष सन् 1993 से विचाराधीन है ऐसी स्थिति में हम परीक्षण न्यायालय को निर्देशित किया जाना न्यायहित में उचित समझतें है कि प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण चार माह के अन्दर शीघ्रतापूर्व किया जावे।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/5935/2004/अलवर** **ओमकार व अन्य बनाम बाबूलाल (मृतक जरिये वारिसान) व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6— परिणामतः प्रार्थी निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। परीक्षण न्यायालय उपजिलाधीश बानसूर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17—11—2004 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	